



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 294222

*Shambhu Nath Dubey
न्यास विलेख १३।।७ ९।।५०२।५५६।।*

- 1- यह कि न्यास का पूर्ण नाम शम्भूनाथ दूबे शिक्षण संस्थान ट्रस्ट होगा।
 - 2- यह कि इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा जिसका मुख्य कार्यालय ग्राम-डकाही, पोस्ट- लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर (उप्रो) होगा।
 - 3- यह कि इस न्यास के न्यासीगण का न्यासीमण्डल न्यूनतम चार व्यक्तियों का सदैव रहेगा।
- इस न्यास के मुख्य न्यासी एवं न्यासी निम्नलिखित हैं।

मुख्यन्यासी -

यह कि इस न्यास के मुख्य न्यासी अनिल कुमार दूबे पुत्र स्वं शम्भूनाथ दूबे ग्राम देवरी पोस्ट लम्भुआ तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर उत्तर प्रदेश है।

न्यासी-

1. श्रीगती उर्मिला देवी पत्नी श्री अनिल कुमार दूबे ग्राम देवरी पोस्ट लम्भुआ तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर उत्तर प्रदेश है।
2. संदीप दूबे सुत श्री अनिल कुमार दूबे ग्राम देवरी पोस्ट लम्भुआ तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर उत्तर प्रदेश है।
3. ~~कृष्णली~~ ^{Principals} सुत श्री अनिल कुमार दूबे ग्राम देवरी पोस्ट लम्भुआ तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर उत्तर प्रदेश है।

*Shambhu Nath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur*

अनिल ३।।२

(A)
Manager
Shambhu Nath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

६
१०० रुपये की टिकटों पर राष्ट्रगान इन संस्थान सहर गांधी-उकाई प्र०-दाता तेज-लाल
गोला-मुलताहार (गोले-मुलताहार)


प्र० ५०५४

०८-०३-२०१९

भारत राष्ट्र

विदेश अ० १२२/२०००

राष्ट्रपति, भारत राष्ट्र



भारतीय गैर न्यासीक

एक सौ रुपये

₹. 100



RS. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 294223

1. यह कि मुख्य न्यासी को न्यास के लिए न्यासी नामित करने तथा उसका कार्यकाल निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. यह कि उपरोक्त न्यासीमण्डल का पूर्णअधिकार मुख्य न्यासी को रहेगा।
3. यह कि मुख्य न्यासी को अधिकार होगा कि न्यास मण्डल मे न्यासीगण की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकता है।
4. यह कि मुख्य न्यासी को अधिकार होगा कि वह अपने जीवन काल मे ही अपने किसी सक्षम कर्मठ, योग्य, तथा न्यास व संस्था के प्रति निष्ठावान पुत्र को अपने पद पर मुख्य न्यासी नामित कर दें। इस नियुक्ति को किसी भी स्तर पर कोई भी चुनौती देने की शक्ति नहीं रखेगा। यदि मुख्य न्यासी अपने जीवन काल मे अपना उत्तराधिकारी मुख्य न्यासी नामित नहीं कर पाता है अथवा अपना उत्तराधिकारी नामित करने मे असमर्थ हो जाता है तो शेष न्यासीगण मुख्य न्यासी के पुत्रों मे से सुयोग्य एवं कर्मठ, द्रष्ट तथा संस्था के प्रति निष्ठावान पुत्र को बहुमत के आधार पर मुख्य न्यासी नामित करेंगे या मुख्य न्यासी चुनेंगे।
5. यह कि मुख्य न्यासी को किसी भी न्यासी को बिना कारण बताये हटाने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है या भविष्य मे रहेगा।
6. यह कि किसी प्रकार न्यासी का स्थान रिक्त होने पर मुख्य न्यासी द्वारा रिक्त स्थान भरा जाएगा।
7. मुख्य न्यासी एवं तीन न्यासी के अतिरिक्त संख्या बढ़ायी नहीं जा सकती मुख्य न्यासी अथवा न्यासी की मृत्यु होने पर प्रथमतः उनकी पत्नी तथा उसके बाद पुत्र न्यासी होंगे।
8. न्यासी गण *Shambhu Nath Dubey Convent School* संचालित शिक्षण संस्थानों अथवा विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन व अधिकार अपार्शी संभाल सकेंगे।

Dakahi, Lambhua-Sultanpur

आनिल दुबे

Manager

Shambhu Nath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur



तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 294224

9. यह कि ट्रस्ट का विवाद न्यायालय में या अन्यत्र नहीं जायेगा। यदि भविष्य में कोई सहायक न्यासी या सदस्य किसी विवाद को न्यायालय में या अन्यत्र दाखिल करेगा तो उस न्यासी या सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
10. यह कि इस न्यास को पूरे भारत वर्ष में कहीं भी कोई चल- अचल सम्पत्ति अर्जित करने अथवा प्राप्त करने और रखने व धारण करने का अधिकार रखेगा और वह कुल सम्पत्ति इस न्यास की सम्पत्ति का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाएगा और इसकी चल अचल सम्पत्ति के क्रय - विक्रय का अधिकार मुख्य न्यासी द्वारा किया जायेगा।
11. यह कि इस न्यास या इस न्यास द्वारा संचालित संस्था का वित्तीय एवं आर्थिक प्रबन्धन और प्रशासन इस न्यास अथवा इसके द्वारा संचालित संस्था के हित में इसके नाम से सदैव सुचारू रूप से होता रहेगा। जिसकी व्यवस्था मुख्य न्यासी, न्यासी मण्डल की ओर से करेगा। और उसके लिए आवश्यक कोष व उसके रख-रखाव की व्यवस्था किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकखाना, वित्तीय संस्था आदि में उसके जमा लाभदायी निवेश आदि की व्यवस्था भी उसी प्रकार होती रहेगी जिसका संचालन सामान्यतः मुख्य न्यासी के द्वारा होता या उसके निर्देशानुसार होता रहेगा।
12. यह कि किसी प्रकार का कोई दान, चन्दा, सहायता, अनुदान या अभिदान किसी व्यक्ति, संस्था, राज्य के द्वारा कोई सम्पत्ति या धन इस न्यास के लिए प्राप्त होगी वह न्यास के नाम या इसके संचालित संस्थाओं के नाम रहेगा। न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के कोष मुख्य न्यासी द्वारा वित्तीय न्यायिक होगा। अथवा मुख्य न्यासी द्वारा नियुक्त सदस्य/न्यासी द्वारा किया

*Principal
Shambhu Nath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur*

३१२१८

(A)
Manager
Shambhu Nath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 294225

Dakahi, Lamontia

Shambhunath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur



प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 294226

मुख्य न्यासी में निहित होगा जिसका उपयोग मुख्य न्यासी उपरोक्त उद्देश्यों एवं विषयों को ध्यान में रखकर इस न्यास व संस्था के हित में निष्पक्ष रूप में किसी अनुचित भेद भाव या द्वेष भाव से विरत रहकर करेंगे और विधि के अनुसार यदि आवश्यक होगा तो उसके लिए उचित प्रशासन योजना आदि की व्यवस्था भी अन्य न्यासीगण के सहयोग एवं परामर्श से करेंगे।

18. यह कि न्यास के उपरोक्त उद्देश्यों एवं कार्यों के लिए जो भी कार्य होगा उसके लिए यदि मुख्य न्यासी आवश्यक समझे तो उसकी उपसमिति/प्रबन्ध समिति गठित कर सकता है। उपसमिति/प्रबन्ध समिति को नियुक्त करने व पदमुक्ति करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।
19. यह कि न्यास की बैठक की कार्यवाही निर्णय आदि करने हेतु न्यासियों में से कम से कम एक तिहाई न्यासियों की उपस्थिति एवं स्वीकृति अनिवार्य होगी। न्यासी मण्डल के किसी मतभेद की अवस्था में बहुमत के आधार पर आवांछित रूप से हुए किसी प्रस्ताव व विनिश्चय पर मुख्य न्यासी को उस मतभेद का विवेकानुसार समाधान करने एवं उस विनिश्चय व प्रस्ताव को निरस्त करके उस स्थान पर अपना निर्देश अपने विवेकानुसार देने का अधिकार होगा।

20. यह कि इस ट्रस्ट को प्रभावी बनाने के हेतु आवश्यक नियमावली बनाने तथा उसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्धन तथा परिवर्तन करने का अधिकार न्यासी मण्डल को रहेगा। किसी सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय का अधिकार मुख्य न्यासी को प्राप्त होगा।

21. न्यास की सम्पत्ति Principal के मुख्य न्यासी अनिल कुमार दूबे द्वारा दिया गया 11000 (ग्यारह हजार) Shambhunath Dubey Convent School, Dakahi, Lambhua-Sultanpur

उत्तराखण्ड

(A)

Manager

Shambhunath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100
लालतार
22 JAN 2011

ONE

HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EL 294227

अन्य प्रतिबन्ध / शर्तें

यदि ट्रस्ट सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. विद्यालय की मान्यता के लिए राज्य सरकार से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अनुपालन के सन्दर्भ में -

क- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट को समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख- विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगे।

ग- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनु०जाति/अनु०जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेप्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कॉसिल फॉर दी इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इकाजामिनेशल प्राप्त करने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

ङ- संस्था के ~~शिक्षिकृत~~ विद्यार्थियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ~~प्राइवेट~~ प्राइवेट स्कूलों को अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भव्य प्राप्ति प्राप्ति दिया जायेगा।

(A)
Manager

Shambhunath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

आर्टिल दुबे

जिल
भारतीय गैर न्यासिक

एक सौ रुपये



रु. 100

RS. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

EL 294228

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

च— कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

छ— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

ज— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हाँ तो कृपया प्रवन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से ज तक स्वीकार है।

झ— उक्त प्रतिबन्ध क्रम 'क' से 'ज' तक बिना शासन के अनुमति से परिवर्तन/परिवर्धन/ संशोधन नहीं किया जायेगा।

विशेष— मुख्य न्यासी एवं न्यासी के पद वंशानुगात ही होंगे।

अतः मैंने न्यास अभिलेख सहर्ष स्वेच्छानुसार स्वतंत्र विचार से शारीरिक व मानसिक स्वस्थ अवस्था के लिए बिना किसी जोर दबाव के यह ट्रस्ट डीड न्यास परिपत्र लिख दिया ताकि

सनद् रहे। Principal
Shambhu Nath Dubey Convent School
Lambhua-Sultanpur

तहरीर तारीख—

11. 3. 19

मसविद कर्ता—

S. D. Dubey १८५
अप्रिल १९१२

A) Manager
Shambhu Nath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये



₹. 100

05 FEB 2019
Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

EL 300328

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दाता - 11-03-2019 ₹.

आवास ८५०२

गणेश शंखनाथ द्वारा दिल्ली मुद्रित
द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा
द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा
द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा




Photo
Approved
by
Date
11/3/19

गणेश शंखनाथ द्वारा द्वारा द्वारा
द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा
द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा



11/3/19

S. D. Patel
Principal

Shambhunath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

(M)

Manager

Shambhunath Dubey Convent School
Dakahi, Lambhua-Sultanpur

०१ रामनंद कुमार सुल शमशुराथ इके दावती परिवार का नाम
जिला सुलतानपुर का नाम

ठाना/विभाग पालपाटा

दि ११.०३.२०१९

हरिगोविन्द उपाध्याद

11 MAR 2019

स्टाम्प विकला-लालन-६/९९

ताहसील-लम्भुआ, जिला-सुलतानपुर

आवेदन सं०: 201900917001376

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ 147 से 162 तक क्रमांक
9 पर दिनांक 11/03/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुखराम सिंह

उप निबंधक : लम्भुआ

सुलतानपुर

11/03/2019

